

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 27.7.18

क्रमांक एफ 44-10/2018/20-2: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2018-19 से शास0 आवासीय संस्कृत कन्या मा0 शाला टीन शेड टी.टी. नगर जिला-भोपाल एवं शा0 मा शाला पाटन (बंडा) विकासखण्ड बंडा जिला-सागर का हाईस्कूलों में उन्नयन एवं संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार उक्त शाला में पदों की स्वीकृति प्रदान करता है:-

2. उपरोक्तानुसार स्वीकृत पदों तथा अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाला व्यय निम्न लेखा शीर्षों में विकलनीय होगा-

स.क्र.	व्यय का विवरण	लेखा शीर्ष
1.	प्राचार्यों के वेतन भत्ते	40-2202-02-109-6968-0101-v-11
2.	संविदा शाला शिक्षकों का वेतन/मानदेय	53-2202-02-196-8403-0101-v-42-009 53-2202-02-196-8403-0102-v-42-009 53-2202-02-196-8403-0103-v-42-009
3.	संविदा सहायक ग्रेड-3 / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय	53-2202-02-196-6968-0101-v-11-025
4.	आउटसोर्स पर साफ-सफाई / सुरक्षा व्यवस्था	40-2202-02-109-6968-0101-v-12 40-2202-02-109-6968-0101-v-31


3. उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित हायर सेकेण्डरी शालाओं में हाईस्कूल के रूप में पूर्व से स्वीकृत पद समायोजित हो जावेगे।

4. उक्त हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में संविदा सहायक ग्रेड-3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की व्यवस्था आउट सोर्सिंग प्रणाली से की जावेगी।

5. उन्नत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रत्येक शाला में शाला प्रबंधन व्यवस्था (साफ सफाई/सुरक्षा) हेतु अधिकतम राशि 6000/-प्रतिमाह की सीमा में व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शाला प्रबंधन हेतु राशि का उपयोग आउटसोर्सिंग व्यवस्था एस.एम.डी.सी. के माध्यम से किया जावेगा।

6. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. 496/903/चार/ब-3/2017 दिनांक 07.11.2017 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(प्रमोद सिंह)

उप सचिव


म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 27.7.18

क्रमांक एफ 44-10/2018/20-2
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मान.मुख्यमंत्री, मुख्य मंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
2. निज सचिव, मंत्री/राज्यमंत्रीजी, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
4. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर

5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल
 6. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, भोपाल
 7. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.
 8. संबंधित संभागायुक्त म.प्र.
 9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल
 10. कलेक्टर, जिला- सागर/भोपाल मध्यप्रदेश
 11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-सागर/भोपाल, मध्यप्रदेश
 12. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
 13. अपर संचालक, कोष, लेखा संचालनालय, पर्यावास भवन की ओर भेज कर लेख है, कि उक्त उन्नत शालाओं में स्वीकृत पदों की प्रविष्टि सर्वर पर कराने का कष्ट करें।
 14. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-सागर/भोपाल, म.प्र.
 15. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सागर/भोपाल, म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. गार्ड फाईल


27/1/18

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

::अनिल मीना::

परिशिष्ट-1

हाईस्कूल विद्यालयों में स्वीकृत रचनाकम अनुसार पदों की स्वीकृति:-

(1) हाईस्कूल के लिए:-

स.क्र.	पदनाम	हाईस्कूल हेतु		
		वेतनमान	प्रति विद्यालय स्वीकृत पद संख्या	कुल स्वीकृत पद संख्या
1	प्राचार्य	9300-34800+ग्रेड पे 4200	01	01
2	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 (वरि. अध्यापक)	9000/-प्रतिमाह	06	06
3	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 सहायक अध्यापक (विज्ञान)	5000/-प्रतिमाह	01	01
4	संविदा सहायक वर्ग-3 / डाटा एन्ट्री. आपरेटर	(कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर)	01	01
	कुल स्वीकृत पद संख्या		09	09

(Handwritten Signature)
१२/११/१०